

उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, (यू०पी०आर०एन०एस०एस०लि०)
राजकीय निर्माण एजेन्सी
जी-४/५बी, सेक्टर-४, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-२२६०१०
फोन नं०-०५२२२३९०१५०, ०५२२२३९०१५१
(आई०एस०ओ: ९००१-२००८)

पत्रांक: सी० १६१ /सिविल/पंजी०/टी

दिनांक: १९ नवम्बर, २०१८

सूचना

नोटिस संख्या सी० १४४ दिनांक २३.१०.२०१८ द्वारा दिनांक ०६.११.२०१८ तक मुख्यालय में फीडर लाइन, सब स्टेशन के कार्य हेतु जो आवेदन प्राप्त हुये थे, उनमें निम्न आवेदनकर्ता द्वारा अर्हतायें पूर्ण पायी गयी। तदनुसार उन्हें पंजीकृत कर दिया गया है, विवरण निम्नवत् है:-

| क्र०सं० | फर्म का नाम |
|---------|--|
| १. | मेसर्स अनिल कुमार सिंह, जनपद-गोरखपुर |
| २. | मेसर्स ए०पी० इन्फ्रास्ट्रक्चर, जनपद-लखनऊ |
| ३. | मेसर्स आर०जी० ट्रेडर्स, जनपद-इलाहाबाद |

उपरोक्त कार्य हेतु निम्न फर्म द्वारा वांछित अर्हताएं पूर्ण न करने के कारण अयोग्य पाया गया, विवरण निम्नवत् है:-

| क्र०सं० | फर्म का नाम |
|---------|---------------------------------------|
| ४. | मेसर्स श्री प्रकाश शुक्ला, जनपद-बस्ती |


नोट

- क्रमांक संख्या-१ के आवेदनकर्ता, सूचना जारी होने के २० दिवस के अन्दर यू०पी०आर०एन०एस०एस०, मुख्यालय में ०४ फोटो के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें। पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रपत्रों के सत्यापन प्राप्त होने के बाद जारी किये जायेंगे।
- क्रमांक संख्या-२ के आवेदनकर्ता धरोहर धनराशि(एफ०डी०आर०) को यूपीआरएनएसएस, मुख्यालय से प्राप्त कर ०३ वर्ष के स्थान पर ०४ वर्ष हेतु संस्था के नाम बंधक कराते हुए १५ दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके पंजीयन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। तदोपरान्त नोट क्रम संख्या-१ के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- क्रमांक संख्या-३ के आवेदनकर्ता धरोहर धनराशि(एफ०डी०आर०) को यूपीआरएनएसएस, मुख्यालय से प्राप्त कर संस्था का नाम "उ०प्र० राजकीय निर्माण सहकारी संघ लि०" के स्थान पर उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०" कराते हुए १५ दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके पंजीयन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। तदोपरान्त नोट क्रम संख्या-१ के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व यदि पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता समाप्त हो जाती है तो नया डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने के उपरान्त ही प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।

सुनील
६६

5. क्रमांक संख्या-4 के आवेदनकर्ता वांछित अर्हता पूर्ण न किये जाने के कारण पंजीकृत नहीं हो सके हैं, वे किसी भी कार्यदिवस में अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड/पेन कार्ड/पास पोर्ट) मूलरूप में प्रस्तुत कर पंजीकरण हेतु जमा पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर धनराशि (डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा एफ0डी0आर0) मूलरूप में संस्था के मुख्यालय जी-4/5 बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं।




मुख्य अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0,
लखनऊ।